**अपील सूचना अधिकार संख्या 49/2019 (RCMS 2019/00150) श्री श्याम सुन्दर चुघ पुत्र श्री ताराचंद चुघ, निवासी आदर्श कॉलोनी, वार्ड नं. 35, आदर्श कल्याण भूमि रोड (बनवारी की चक्की के पास), सूरतगढ 335804 मो. न. 89468–27713 बनाम जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर**

**07.08.2019**

**पत्रावली** पेश हुई। अपीलार्थी श्री श्याम सुन्दर चुघ स्वयं उपस्थित हुए। बहस सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**अपीलार्थी ने प्रार्थना की** है कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2019 को प्रस्तुत करके 05 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं रजिस्टर्ड डाक द्वारा बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

**मैनें उक्त तर्को** पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री श्याम सुन्दर चुघ ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.05.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. अति. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन्स कल्याण विभाग, राज. बीकानेर द्वारा प्रार्थी के पक्ष में उनके पत्रांक 3400, 3402 एवं 3404 दिनांक 14.04.2018 के अन्तर्गत जारी एवं कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को भिजवाये गये क्रमशः पी.पी.ओ. नं. 151–5038919(R), जी.पी.ओ. नं. 3101528(R) एवं जीपीओ नं. 4073058(R) कोषाधिकारी कार्यालय में किस तारीख को प्राप्त हुए तथा कोषाधिकारी द्वारा प्रार्थी को भुगतान समय पर दिलवाने हेतु क्या कार्यवाही की गई। की गई कार्यवाही के पत्रांक/दिनांक सहित विस्तृत ब्यौरा कृपया उपलब्ध करवायें।
2. प्रार्थी को पेंशन विभाग द्वारा उक्त संशोधित अधिकृतियों का भुगतान लगभग आठ माह पश्चात बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हुआ। इस विलंबित अवधि का ब्याज एवं क्षतिपूर्ति राशि (मानसिक परेशानी/एवं पारिवारिक/सामाजिक उत्तरदायित्वों के

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

निर्वहन में बाधा) के भुगतान हेतु कौन–कौन उत्तदायी अधिकारी/कर्मचारी जुम्मेवार है? कृपया विस्तृत सूचना उपलब्ध करवायें।

3. उक्त संशोधित अधिकृतियों का समय पर भुगतान करवाने हेतु श्रीमान् जिला कलैक्टर कोषाधिकारी एवं बैंक (संबंधित) को कई बार ई–मेल एवं पत्राचार (बैंक में व्यक्तिशः सम्पर्क करके भी) द्वारा निवेदन किया गया, परन्तु भुगतान नहीं होने का न तो कोई कारण बताया गया तथा न ही समय पर भुगतान किया गया। इसका क्या कारण रहा? कृपया विस्तृत सूचना उपलब्ध करावें।
4. कोषाधिकारी कार्यालय द्वारा उक्त संशोधित अधिकृतियां भुगतान हेतु अधिकृत करते हुए संबंधित बैंक को कब भिजवाई गई? बैंक का नाम शाखा (कोड़ सहित) का नाम भेजने की तारीख, भेजने का तरीका (रजि. डाक द्वारा/वाहक द्वारा/साधारण डाक द्वारा आदि) एवं यदि रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाई गई रजिस्ट्री का क्रमांक दिनांक एवं यदि वाहक द्वारा भिजवाई गई तो बैंक की प्राप्ति क्रमांक/दिनांक का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध करावे।।
5. संबंधित बैंक (भुगतानकर्त्ता) द्वारा उक्त अधिकृतियों के भुगतान हेतु कोई असमर्थता व्यक्त की गई हो अथवा कोई आक्षेप लगाकर कोषाधिकारी को लौटाया गया हो तो दोनों के बीच हुए पत्र व्यवहार का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध करावें?

**उक्त अपील पत्र** के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक कोष/गंगा/आरटीआई/2019–20/142 दिनांक 08.07.2019 से नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ(कलक्ट्रेट), श्रीगंगानगर को सूचना के माध्यम से प्रार्थी श्री श्याम सुन्दर चुघ को निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना बिन्दुवार इस प्रकार से है :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अति. निदेशक, पेंशन विभाग बीकानेर द्वारा जारी की गई संशोधित अधिकृतियां किस तारीख को कोष कार्यालय में प्राप्त हुई व की गई कार्यवाही उपलब्ध करवाने बाबत। | अति. निदेशक, पेंशन विभाग, बीकानेर द्वारा जारी अधिकृतियां दिनांक 19.04.2018 को कोष कार्यालय मे प्राप्त हुए व स्थिरीकरण हेतु बैंक से पेंशन पत्रावली मंगवाने हेतु पत्र दिनांक 18.05.2018 को जारी कर दिया गया। बैंक से पेंशन पत्रावली दिनांक 27.06.18 को प्राप्त हुई बाद होने स्थिरीकरण दिनांक 06.07.2018 को पत्रावली दिनांक 1265 दिनांक 09.07.2018 को जरिए रजिस्टर्ड डाक बैंक एसबीआई, बीकानेर रोड, सूरतगढ को वास्ते भुगतान भिजवाई दी गई। |
| 2 | विलम्ब भुगतान हेतु कौन–कौन उत्तरदायी है। | इस कार्यलय में इस बिन्दु से संबंधित कोई रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जाता है। |
| 3 | मेरे द्वारा जिला कलक्टर व कोषाधिकारी व सम्बन्धित बैंक से बार बार पत्र व्यवहार करने के उपरांत भी कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही कोई जवाब दिया गया है। | आपके प्रार्थना पत्र जरिए जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर पत्रांक 730 दिनांक 19.07.2018 व अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के पत्रांक 7845 दिनांक 08.08.2018 के जवाब जरिए पत्रांक 1521 दिनांक 24.07.2018 व पत्रांक 2149 दिनांक 11.09.2018 सारी कार्यवाही से अवगत करवाया गया था। |
| 4 | अधिकृतियां बैंक को जब भिजवाई गई व बैंक का नाम कोड व तारीख सहित | आपकी पत्रावली बाद करने स्थिरीकरण प्रेषण क्रमांक 1265 दिनांक 09.07.2018 को जरिए रजिस्टर्ड डाक एसबीआई, बीकानेर रोड, सूरतगढ को भिजवाई गई थी। वास्ते साक्ष्य फोटो प्रति रसीद व फोटो प्रति प्रेषण रजिस्टर संलग्न है। |
| 5 | बैंक द्वारा कोई आक्षेप लगाकर भिजवाया गया हो तो उपलब्ध करावें। | कोष कार्यालय से बाद स्थिरीकरण, बैंक द्वारा पत्रावलियां सीपीपीसी, जयपुर को भिजवाई जाती है, उनके द्वारा इस कार्यालय को कोई आक्षेप लगाकर नहीं भिजवाया गया। |

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि** अपीलार्थी यदि रजिस्र्ड डाक से सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है तो रजिस्टर्ड डाक की राशि अपीलार्थी से राजकोष में जमा करवाकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत **कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख में से यदि किसी निश्चित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति चाही गई हो तो नियमानुसार अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जावे।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

**अतः अपीलार्थी** की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक कोष / गंगा / आरटीआई / 2019—20 / 142 दिनांक 08.07.2019 मय संलग्न दस्तावेज की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर